संख्या- 2/2017/182/अडतीस-7-2017-06नरेगा/2017

प्रेषक,

एन0के0सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2017**

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या- 21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य एवं ओ0ए0संख्या- 118/2013 विक्रान्त कुमार तोगड बनाम इन्वायरमेण्ट पल्यूशन अथारिटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10-11-2016 के अनुपालन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत "कृषि अपशिष्ट संग्रहण हेतु स्थल चिन्हित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त् विषय के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-467/12-2-2017-14/2016 दिनांक 10-02-17 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान समय में ग्रामों में ग्राम सभा की परती भूमि बहुत कम मात्रा में है, जिसके कारण कृषि अपशिष्ट के एकत्रण हेतु स्थल चयन किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा। अत: मनरेगा योजनान्तर्गत कृषकों को खेत में ही गडढा खोदकर उसी में फसलों के अवशेषों को डालकर वैज्ञानिक विधि से कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु प्रेरित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के परिपालन में प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0के0सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या- 2/2017/182 (1)/अड़तीस-7-2017-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. कृषि अनुभाग-2
7. समस्त परियोजना निदेशक/ उपायुक्त श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।